पत्रांकः— वन भूमि—10 / 2023...................... / प०व०ज०प०

# बिहार सरकार

## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

**प्रेषक,**

**सुधीर कुमार,**
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

**सेवा में,**

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),**
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड, राँची—834002

**पटना—15, दिनांक..........................**

**विषय :—** 400 के०वी० डबल सर्किट सीतामढ़ी QUAD MOOSE (पावर ग्रिड)—ढलकेबार (नेपाल) पारेषण लाईन (भारतीय भाग) के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.3634 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाशय,**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव वरिष्ठ महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित पारेषण लाईन राज्य के सीतामढ़ी वन प्रमंडल से होकर गुजरेगी। प्रस्तावित परियोजना निर्माण में 0.3634 हे० वन भूमि अपयोजन एवं पातित होने वाली वृक्षो की संख्या 107 है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :—

| क्र० सं० | वन प्रमंडल का नाम | क्षेत्रफल (हे० में) | Translocate किये जाने वाले वृक्षों की संख्या | पातित होने वाले वृक्षों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सीतामढ़ी | 0.3634 | 115 | 107 |
| | **कुल** | **0.3634** | **115** | **107** |

विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व सीतामढ़ी वन प्रमंडल के लिए 0.2 अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण—पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—11—43 / 2013—FC दिनांक—26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण—पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज—1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव में Geo referenced Map एवं टोपो सीट संलग्न है।

परियोजना निर्माण में पातित होने वाले वृक्षों (107) के बदले 10 गुणे वृक्षों अर्थात 1070 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त किया गया है, जिसे प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है। प्रस्तावित पारेषण लाईन पथ तट, एवं बाँध तट के रूप में

अधिसूचित क्षेत्र से हो कर गुजरती है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. परियोजना निर्माण में 0.3634 हे० वन भूमि के लिए नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9,57,780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 3,48,057/– (तीन लाख अड़तालीस हजार सन्तावन रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण के क्रम में पातित होने वाले वृक्षों (107) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात 1070 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजूदरी पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वृक्षारोपण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 65,80,245/– (पैसठ लाख अस्स्ती हजार दो सौ पैंतालीय रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में अद्यतन मजदूरी दर पर जमा कराया जायेगा।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देख–रेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1492/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
**(सुधीर कुमार)**
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

**ज्ञापांक** :– वन भूमि–10/2023................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...............................

**प्रतिलिपि** :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/वरिष्ठ महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
**(सुधीर कुमार)**
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

**ज्ञापांक** :– वन भूमि–10/2023 503(8)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 18/07/2023

**प्रतिलिपि** :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

18/7/2023
**(सुधीर कुमार)**
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-261

**Van Bhumi:- 10/2023**

## PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

| | |
|---|---|
| Recommendation of the State Government:-<br>(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon). | The proposed diversion of 0.3634 ha. forest land for construction of 400KV QUAD MOOSE (Power Grid)-Dhalkebar (Nepal) Transmission Line in (Indian side) Sitamadhi District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter. |
| Date:- 18/7/2023<br>Place:- PATNA | Signature:- Sudhir Kumar<br>Name of Designation:- अपर सचिव<br>Official Seal:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार, पटना |